तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4225/2001/बीकानेर कृष्ण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री रमजान मोहम्मद, अधिवक्ता, प्रार्थीगण
श्री अभिषेक कौशिक, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सरकार
श्री योगेन्द्रसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं0 3 व 4

निर्णय

दिनांक 12.11.2018

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04–05–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोझा एवं चक 298आरडी, 2पीएलएम, 17सीएचडी, 16सीएचडी, 11, 12, 12 सीएचडी के चकों के काश्तकारों ने सामुहिक रूप से सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रोझा के चक 16 व 17सीएचडी एवं 3पीएलएम के खेतों एवं आबादियों में जाने के लिए चक नम्बर 298–800 आर के मु.न. 50 से 56 तक जोरास्ता स्वीकृतशुद्धा है, उस पर चक नम्बर 3 पीएलएम के मु.न. 210/49 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 पर रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण तमाम काश्तकारों को परेशानी होती है। अतः मु.न. 210/49 का रास्ता स्वीकृत किया जावे। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद आवश्यक जांच एवं सुनवाई निर्णय दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4225/2001/बीकानेर कृष्ण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

22-11-1990 से प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर चक 2पीएलएम के मु.न. 210/49 के किला नम्बर 1, 10, 11 व 21 प्रत्येक में दो दो बिस्वा का रास्ता स्वीकृत किया। सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 04-05-2001 से खारिज कर दी। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय ने प्रार्थीगण की पुश्तैनी खातेदारी भूमि में उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रास्ता कायमी का आदेश पारित कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किये बिना निगराधीन आदेश पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण को रास्ते में गयी भूमि के बदले किसी प्रकार का क्षतिपूर्ति मुआवजा नहीं दिया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए विलम्ब के सम्बन्ध

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4225/2001/बीकानेर कृष्ण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	में नरम रूख अपनाते हुए देरी को क्षम्य् किये जाने की प्रार्थना की। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को निरस्त किया जावे। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता अथवा अवैधानिकता नहीं होने से पारित निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र के मद्देनजर विलम्ब के सम्बन्ध में नरम रूख अपनाते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते है। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाता है। पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम रोझा एवं चक 298आरडी, 2पीएलएम, 17सीएचडी, 16सीएचडी, 11, 12, 12 सीएचडी के चकों के काश्तकारों ने सामुहिक रूप से सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम रोझा के चक 16 व 17सीएचडी एवं 3पीएलएम के खेतों एवं आबादियों में जाने के लिए चक नम्बर 298–800 आर के मु.न. 50 से 56 तक जोरास्ता स्वीकृतशुद्धा है, उस पर चक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4225/2001/बीकानेर कृष्ण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नम्बर 3 पीएलएम के मु.न. 210/49 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20 व 21 पर रास्ता स्वीकृत नहीं होने के कारण तमाम काश्तकारों को परेशानी होती है। अतः मु.न. 210/49 का रास्ता स्वीकृत किया जावे। विचारण न्यायालय ने उक्त प्रार्थनापत्र को दर्ज रजिस्टर कर बाद आवश्यक जांच एवं सुनवाई निर्णय दिनांक 22–11–1990 से प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर चक 2पीएलएम के मु.न. 210/49 के किला नम्बर 1, 10, 11 व 21 प्रत्येक में दो दो बिस्वा का रास्ता स्वीकृत किया। प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण ने हमारे समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। प्रस्तुत प्रकरण में सहायक उपनिवेशन आयुक्त ने मौका रिपोर्ट अनुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए रास्ता कायमी का आदेश पारित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों की विस्तृत रूप से विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निगराधीन विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। योग्य अधिवक्तागण प्रार्थीगण हमारे समक्ष ऐसा कोई नवीन तथ्य अथवा ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके है, जिससे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों को विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होना माना जा सकें। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निगराधीन निर्णयों की पुष्टि की जाती है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/4225/2001/बीकानेर कृष्ण लाल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय की प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	